

समक्ष माननीय अध्यक्ष मध्य प्रदेश राजस्व मण्डल ग्वालियर

सर्किट केम्प भोपाल.

R-3726-11/13

निग. प्रकरण क्रमांक- /2012-13

- 1- श्रीमति माया विजयवर्गीय
पत्नि श्री संजय विजयवर्गीय
 - 2- संजय विजयवर्गीय आ० शिवनारायण
 - 3- जितेन्द्र विजयवर्गीय आ शिवनारायण
- सभी जाति महाजन निवासी-जयस्तम्भ राजगढ

तह० व जिला राजगढ ब्यावरा म० प्र० । आवेदकगण

विरुद्ध

- 1- मध्यप्रदेश शासन
- द्वारा:- कलेक्टर जिला राजगढ (ब्यावरा)
- 2- प्रेमसिंह
- 3- बापूलाल
- 4- दरियाब सिंह
- तीनोपुत्र गण स्व.श्री भवरलाल
- 5- रेशमबाई
- 6- संतोष बाई उर्फ लाडबाई
- दोनो पुत्रिया स्व. श्री भवरलाल
- सभी निवासीगण ग्राम उदपुरिया
- तहसील व जिला राजगढ ब्यावरा म० प्र० अनावेदकगण

म० प्र० भू-राजस्व संहिता की धारा-50 के अन्तर्गत निगरानी.

माननीय महोदय,

आवेदकगण की ओर से विद्वान कलेक्टर जिला राजगढ ब्यावरा के द्वारा स्वप्रेरित निगरानी प्रकरण क्रमांक- 42/बी-121/2011-12 में पारित आदेश दिनांक-06-08-2013 से असंतुष्ट एवं दुखी होकर यह निगरानी सूचना प्राप्ति दिनांक 22-08-2013 से निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत की जा रही है।

प्रकरण के तथ्य

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम उदपुरिया में एक कृषि खाता भूमि खसरा क्रमांक-12/1 एवं 24/2 रकबा क्रमशः 2.681 एवं 3.025 हेक्टेयर कुल भूमि 5.706

(Handwritten signature)

39

श्री. राजेश कुमार
पुस्तकें 2 व 2
रूम 16 9-13 के
कमरा क्रमांक 211/13

60
251

Not for 15/10

28/5/13

Always
16/5/13



1
ग
के
के
रष
धीन
हज
पूर्व
रमाण

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

करण क्रमांक-निगरानी-3726-तीन/2013

जिला-राजगढ़

श्रीमती माया विजयवर्गीय विरुद्ध म.प्र. शासन आदि

| स्थान तथा दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषकों हस्ताक्षर |
|------------------|--|---|
| 29-05-2019 | <p>प्रकरण प्रस्तुत। आवेदक द्वारा यह निगरानी कलेक्टर राजगढ़, जिला-राजगढ़ के प्रकरण क्रमांक 42/बी-121/2011-12 में पारित आदेश दिनांक 06-08-2013 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25-9-2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण भोपाल संभाग, भोपाल के न्यायालय को अंतरित किया जाता है।</p> <p>2/ पक्षकार दिनांक 23-07-2019 को आयुक्त के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों।</p> <p></p> | <p> (आर0के0 जैन) सदस्य</p> <p>29/9</p> |